2012:CGHC:981

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 1758 /1999

आवेदकगण (जेल में)		मुन्ना उर्फ़ धीरेन्द्र एवं अन्य
	विरूद्ध	
अनावेदक		मध्यप्रदेश राज्य

आदेश की उदघोषणा हेतु दिनांक 24 अगस्त, 2012 को सूचीबद्ध की जावे ।

हस्ताक्षरित

(टी.पी.शर्मा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2012:CGHC:981

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ – माननीय श्री टी.पी.शर्मा न्यायाधीश)

दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 1758 /1999

(पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 397/401 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

अपीलार्थी 1.मुन्ना उर्फ़ धीरेन्द्र

(जेल मे) 2.पप्पू उर्फ़ मधूसूदन

विरूद्ध

अनावेदक मध्यप्रदेश राज्य

दिनांक 13-08-2012 को सुरक्षित रखा गया ।

उपस्थित:
आवेदकगण की ओर से श्री यू.के.एस. चंदेल, अधिवक्ता —
अनावेदक/राज्य की ओर से श्री आशीष गुप्ता, पैनल अधिवक्ता —

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(उद्घोषित दिनांक 24.08.2012)

1. इस दांडिक पुनरीक्षण द्वारा आवेदकों ने 26.11.1999 के निर्णय को चुनौती दी है, जो कि बालौदा बाजार के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दांडिक अपील क्रमांक 189/99 में पारित किया गया था, जिसमें 3.12.1998 को दांडिक प्रकरण क्रमांक 34/1992 में पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को पुष्ट किया गया है।

जिसमें बालौदा बाजार के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदकगणों को गंभीर उपहती कारित करने के लिए घातक हथियारों प्रतिषिद्ध आयुधों के अवैध कब्जे तथा उपयोग के लिए दोषसिद्ध करते हुये उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 326/34 और आयुध अधिनियम की धाराएँ 25 एवं 27 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुये प्रत्येक को तीन वर्षों के सश्रम कारावास और क्रमशः ₹1,000/- तथा ₹500/- के जुर्माने से दण्डनीय होगा और जुर्माना का भुगतान न करने की स्थिति में प्रत्येक आरोप के लिये अतिरिक्त 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

2. अभियोजन के अनुसार, कुमारी शोभा मिश्रा (अभि.साक्षी-1), जो रविकांत मिश्रा (अभि.साक्षी-5) की बहन है, विद्यालय में अध्ययनरत थी। दिनांक 4.12.1991 को उसने विद्यालय जाने से इनकार कर दिया, यह आधार देते हुए कि आरोपी उसे तंग किया करता था और उस पर पत्थर फेंका करता था। इस पर, उसके भाई रविकांत मिश्रा (अभि.साक्षी-5) ने उसे विद्यालय जाने की

सलाह दी और कहा कि वह आवेदकों को समझा देंगे। उसी दिन लगभग 1.30 बजे, उक्त रविकांत मिश्रा आवेदक क्रमांक 1 के घर गए। चूंकि वह घर पर उपस्थित नहीं थे, इसलिए रविकांत ने आवेदक क्रमांक 1 के भाई और माता से शिकायत की। शिकायत करने के पश्चात जब वह अपने घर लौट रहे थे, तो उन्होंने आवेदकगणो से असित खान की पान की दुकान के पास मुलाकात की। उन्होंने आवेदकों को अपनी बहन पर टिप्पणी न करने की सलाह दी, जिसके परिणामस्वरूप आवेदकों ने उन पर हमला कर दिया।आवेदक क्रमांक 2, पप्पू, ने मिट्ठू की पान की दुकान से एक तलवार निकाली और उसे आवेदक क्रमांक 1, धीरेंद्र को दे दी। इसके द्वारा धीरेंद्र ने रविकांत मिश्रा पर उक्त तलवार से दाहिने हाथ की कलाई, बाएँ हाथ की हथेली और दाहिने जांघ पर प्रहार किया। रामगोपाल (अभि.साक्षी-6), जो कि विद्यालय की जीप का चालक था और उस समय विद्यार्थियों के साथ स्कूल से आ रहा था, ने रविकांत को घायल अवस्था में देखकर उसे थाना पहुँचाया, जहाँ से पुलिस द्वारा उसे शासकीय अस्पताल ले जाया गया। रविकांत की स्थिति गंभीर थी। देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-5) अस्पताल में दर्ज की गई थी और उसके पश्चात प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी-1) पंजीकृत की गई थी। आवेदक क्रमांक-1 को गिरफ्तार किया गया और उसके प्रकटीकरण कथन के आधार पर, प्रदर्श पी-1 के माध्यम से एक तलवार बरामद कर ज़ब्त की गई। डॉ. वासुदेव ठाकुर (अभि.साक्षी-11) ने प्रदर्श पी-12 के माध्यम से रविकांत का परीक्षण किया और परीक्षण के दौरान, उन्होंने घायल के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां/चोटें पाईं :-

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

- दाहिने हाथ पर एक कटा हुआ घाव, दाहिने हाथ की कलाई आंशिक रूप से कटी हुई थी। सभी मांसपेशियां कट गई थीं और कलाई केवल त्वचा के सहारे लटकी हुई थी।
- बाएं हाथ की हथेली पर अंगूठे से लेकर कनिष्ठिका की ओर 13x1x½ सेमी आकार का एक कटा हुआ घाव पाया गया।
- दाहिने पैर की जांघ पर 6 सेमी x 1 सेमी आकार का एक कटा हुआ घाव पाया गया। घायल का परीक्षण रेडियोलॉजिस्ट डॉ. एस.सी. बिश्नोई (अभि.साक्षी-12) द्वारा प्रदर्श पी-14 के माध्यम से भी किया गया था और उन्होंने दाहिनी कलाई के जोड़ का अलग होना पाया। तलवार का परीक्षण डॉ. वासुदेव ठाकुर द्वारा प्रदर्श पी-13 के माध्यम से किया गया था।

3. अन्वेषण के पश्चात, संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकों के विरुद्ध अभियोग-पत्र दाखिल किया गया। वर्तमान आवेदकों के दोष को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल पंद्रह अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया।दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आवेदकों के कथन दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रकट होने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया।

4. दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने वर्तमान आवेदकों को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध किया और दंडित किया। आवेदकों ने दोषसिद्धि के निर्णय और दण्ड के आदेश को अपीलीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा भी पुष्ट कर दिया गया है।

5. मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना, आक्षेपित निर्णयों और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया।

6. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि यद्यपि यह गंभीर प्रकरण है, फिर भी अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने के दायित्व के अधीन है। हितबद्ध साक्षी रविकांत मिश्रा (अभि.साक्षी-5) का साक्ष्य, जिनका साक्ष्य संदेह से परे नहीं है, आवेदकों को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वतंत्र स्रोतों से संपुष्टि के अभाव में, अभियोजन का साक्ष्य केवल इस संदेह को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है कि आवेदकों ने अपराध किया होगा, परंतु यह अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि आवेदक वर्ष 1982 से, अर्थात लगभग दो दशकों से विचारण का सामना कर रहे हैं। उभय पक्ष ने स्वयं में सुधार कर लिया है और रविकांत ने दिनांक 01-05-2012 को स्वेच्छा से एक समझौता याचिका प्रस्तुत किया है, जो एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित है। इसमें उसने स्वयं ही, आगामी घटनाक्रमों के आधार पर, आवेदकों पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करने की प्रार्थना की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नायब सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 2192 में पारित निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने समझौते के तथ्य पर विचार करते हुए, 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा को घटाकर 'न्यायालय के उठने तक' के कारावास और 5000/- रुपये के अर्थदंड में परिवर्तित कर दिया था।

गुलाब दास एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2011) 10 एस.सी.सी 765 के प्रकरण में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने समझौते के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अधिरोपित दण्ड को 'पूर्व में भुगती गई अवधि' तक कम कर दिया है। इसके अतिरिक्त, राजेंद्र हरकचंद भंडारी एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, ए.आई.आर 2011 एस.सी 1821 के प्रकरण में भी उच्चतम न्यायालय ने समझौते के आधार पर, धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अपराध हेतु आवेदक/अभियुक्त पर अधिरोपित सजा को 'पूर्व में भुगती गई अवधि' तक कम कर दिया है।

विक्की उर्फ़ नीरज भसीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2012 (II) मध्यप्रदेश वीकली नोट 98 के प्रकरण में दिए गए निर्णय का भी अवलंब लिया है, जिसमें अभियोजन के लंबे समय से लंबित रहने के तथ्य पर विचार करते हुए, अभियुक्त पर अधिरोपित दण्ड को 'पूर्व में भुगती गई अवधि' तक कम कर दिया गया है और 6000/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दांडिक अपील क्रमांक 1145/1994 (सोमनाथ एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य) में दिनांक 29.09.2010 को पारित निर्णय का भी अवलंब लिया है, जिसमें इस न्यायालय ने, समझौते के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के तहत दोषसिद्धि को परिवर्तित कर धारा 326/34 भारतीय दण्ड संहिता में परिवर्तित कर दिया था और दण्ड को 'पूर्व में भुगती गई अवधि' तक कम कर दिया था।

7. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण का विरोध किया और तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदकों को उचित रूप से दोषसिद्ध और दंडित किया है। यह आकस्मिक अपराध का प्रकरण नहीं है, बल्कि यह आवेदकगण द्वारा किए गए पूर्व नियोजित और निरंतर अपराध का परिणाम है, और इसलिए वे समझौते के आधार पर भी किसी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. कुमारी शोभा मिश्रा (अभि.साक्षी-1) के साक्ष्य के अनुसार, वह विद्यालय में पढ़ रही थी। जब वह विद्यालय जाती थी, तो आवेदक उस पर अश्लील टिप्पणियाँ किया करते थे। कभी-कभी वे उसे धक्का देते थे या उस पर चिल्लाते थे या 'पान खा लो', 'पैसा ले लो' जैसे शब्द कहते थे। उसने अभियुक्तों के इस आचरण के बारे में अपनी माँ को बताया था।

9. विमला मिश्रा (अभि.साक्षी-2), जो शोभा (अभि.साक्षी-1) की माता हैं, ने यह बताते हुए शोभा (अभि.साक्षी-1) के साक्ष्य की संपुष्टि की है कि शोभा ने उन्हें और उनके पुत्र रविकांत (अभि.साक्षी-5) को घटना का वृत्तांत सुनाया था। वह स्वयं आवेदकगण के घर गई थीं, परंतु वे अपने-अपने घरों में उपस्थित नहीं थे; हालाँकि, जब रास्ते में उनकी भेंट आवेदक क्रमांक 1 और 2 से हुई, तो उन्होंने उन्हें अपनी पुत्री पर टिप्पणी न करने की सलाह दी थी।

10. रविकांत मिश्रा (अभि.साक्षी-5) के साक्ष्य के अनुसार, अपनी बहन शोभा (अभि.साक्षी-1) से आवेदकों के कृत्य के बारे में पता चलने पर, उसने उसे विद्यालय जाने की सलाह दी और कहा कि आवेदक क्रमांक 1 उसके मित्र का भाई है और वह आवेदक क्रमांक 1 के भाई को इस बारे में समझाएगा। इसके पश्चात, वह आवेदक क्रमांक 1 को खोजने के लिए पान की दुकान की ओर गया

और रास्ते में उसकी भेंट आवेदक क्रमांक 1 के भाई से हुई, जिससे उसने उक्त तथ्य बताया। आवेदक क्रमांक 1 के भाई ने उसे सूचित किया कि वे स्वयं भी आवेदक क्रमांक 1 की गतिविधियों से परेशान हैं क्योंकि वह जुआ खेलता है और शराब पीता है, और इसी कारण उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। इसके बाद वह आवेदक क्रमांक 1 के घर गया। वहाँ उसकी भेंट आवेदक क्रमांक-1 की माता से हुई और उसने उन्हें उनके पुत्र के आचरण के बारे में बताया। उसने आगे यह भी कहा है कि जब वह आवेदक क्रमांक-1 धीरेंद्र के घर से वापस आ रहा था, तब उसने देखा कि तीनों अभियुक्त रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़े हैं। अभियुक्त भूषण ने उसे बुलाया और जब वह वहाँ पहुँचा, तब भूषण ने उसका कॉलर पकड़ लिया और आवेदक क्रमांक-1 धीरेंद्र ने उसे 3-4 थप्पड़ मारे। इसी बीच, आवेदक क्रमांक-2 पान की दुकान की ओर गया और तलवार लेकर वापस आया और उसे आवेदक क्रमांक-1 को सौंप दिया, जिसने उक्त तलवार से उस पर हमला किया और उसका हाथ काट दिया तत्पश्चात, उसने उसके दाहिने हाथ पर प्रहार किया और उसकी हथेली पर चोट पहुँचाई। उसने पुनः तलवार से उसकी जांघ पर वार किया। उक्त प्रहारों के कारण वह नीचे गिर पड़ा। मुन्ना द्वारा उसे पुलिस थाना ले जाया गया और वहाँ से पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहाँ उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई। उसने अपराध कारित करने में प्रयुक्त तलवार की पहचान कर ली है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. रामगोपाल (अभि.साक्षी-6) के साक्ष्य के अनुसार, वह घायल को जलाराम होटल से पुलिस थाना ले गया था। डॉक्टर वासुदेव ठाकुर (अभि.साक्षी-11) ने प्रदर्श पी-12 के माध्यम से घायल का परीक्षण किया, जिन्होंने घायल के शरीर पर उपरोक्त चोटें देखीं। डॉ. एस.सी. विश्नोई (अभि.साक्षी-12) द्वारा प्रदर्श पी-14 के माध्यम से उसका रेडियोलॉजिकल परीक्षण किया गया, जिन्होंने दाहिने हाथ की कलाई के जोड़ का अलग होना और विस्थापन पाया।

12. बचाव पक्ष ने उपरोक्त गवाहों से विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया, किंतु वे ऐसी कोई भी बात निकलवाने में विफल रहे जिससे उनकी गवाही अविश्वसनीय या संदेहास्पद प्रतीत हो। अभि.साक्षी-5 (रविकान्त मिश्रा) अपने साक्ष्य पर अडिग रहा कि आवेदक उसकी बहन पर फब्तियां कसने (कमेंट करने) के आदी थे; जब उसकी (बहन ने) उससे शिकायत की, तो वह शिकायत दर्ज कराने आवेदक क्रमांक-1 के घर गया और जब वह अपने घर वापस आ रहा था, तो रास्ते में मृतक आरोपी भूषण ने उसे खींच लिया था। बचाव पक्ष के अनुसार, अभियुक्तों द्वारा उसकी पिटाई की गई थी। आवेदक पप्पू ने आवेदक क्रमांक-1 को तलवार उपलब्ध कराई, जिसने उससे उस पर हमला किया और उसे घोर उपहति पहुँचाई। इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय है और विश्वास उत्पन्न करता है। अभि.साक्षी-5 (रविकान्त मिश्रा) के साक्ष्य की संपुष्टि अभि.साक्षी-4 (राजू), अभि.साक्षी-6 (राजगोपाल) के साक्ष्य, देहाती नालिश (प्रदर्श पी-5) और चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा की गई है। इस

प्रकार, उपरोक्त साक्ष्य इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि सभी आवेदकों ने, अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए, उक्त रविकान्त मिश्रा (अभि.साक्षी-5) को घातक हथियार (तलवार) से घोर उपहति कारित की है।

13. आवेदक क्रमांक-2 ने आवेदक क्रमांक-1 को तलवार सौंपी, जिसका उपयोग उसने रविकान्त (अभि.साक्षी-5) को चोटें पहुँचाने के लिए किया। प्रदर्श पी-2 में उल्लिखित तलवार की लंबाई और चौड़ाई से यह प्रकट होता है कि वह तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II/B(l) दिनांक 22.11.1974, जो 3.1.1975 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, के अनुसार एक प्रतिषिद्ध हथियार था।

14. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात, आवेदकों को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया है, और अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। इस न्यायालय का यह मत है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने आक्षेपित निर्णयों को पारित करने में कोई अवैधता कारित नहीं की है, क्योंकि आवेदकों की दोषसिद्धि विधिक और निर्णायक साक्ष्य पर आधारित है। जहाँ तक आवेदकों पर अधिरोपित दंडादेश का प्रश्न है, नायब सिंह (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चोट "क्षणभंगुर आवेश" में पहुँचाई गई थी और घटना 13 वर्ष पूर्व हुई थी, दंडादेश को "न्यायालय उठने तक" के लिए कम कर दिया था। नायब सिंह (उपरोक्त) के मामले में, कुछ कहासुनी के बाद, आवेदक ने परिवादी पर 'गंडासा' से हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप सिर पर हड्डी तक गहरी चोट आई थी; यह दर्शाता है कि वह एक तात्कालिक कृत्य और घटना थी और इन परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय ने समझौते के आधार पर दंडादेश को कम कर दिया था। गुलाब दास (उपरोक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भूमि अतिक्रमण के कारण पक्षकारों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई थी, अपीलार्थी ने एक सामूहिक झडप में चोट पहुंचाई थी और पक्षकारों के बीच समझौता हो गया है, दंडादेश को पहले से व्यतीत की गई अवधि तक कम कर दिया था। राजेंद्र हरकचंद भंडारी (उपरोक्त) के मामले में, गन्ने के खेत में प्रवेश के विवाद के कारण घटना घटित हुई थी। वर्तमान प्रकरण में, आवेदकगणों ने शिकायकर्ता पर किसी अचानक हुए सामूहिक झगडे में हमला नहीं किया है। यह कोई आकस्मिक घटना या किसी विवाद के आधार पर हुई कहासुनी या तीखी नोक-झोंक के बाद की घटना नहीं थी; बल्कि आवेदक क्रमांक-1 धीरेंद्र, जिसे उसके परिवार के सदस्यों द्वारा जुआ, शराब के सेवन आदि जैसी अन्य अवैध गतिविधियों में संलिप्तता के कारण घर से बेदखल कर दिया गया था, ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सबसे पहले उक्त शोभा मिश्रा पर अश्लील टिप्पणियां कसकर, उसे धक्का देकर और यह चिल्लाते हुए कि *"पान खा लो, पैसा ले लो"* सार्वजनिक उपद्रव कारित किया। अपनी गलतियों का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अहसास करने के बजाय, उन्होंने उस पर (अभि.साक्षी-5) क्रूरता और निर्दयता से हमला किया, यह महसूस करते हुए कि वे शहर के क्षेत्र में एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति हैं और वहां विधि का शासन या प्रशासन का कोई अस्तित्व नहीं है।

17. वर्तमान प्रकरण की उपरोक्त विशिष्ट और विवशकारी परिस्थितियाँ, तथ्यों के आधार पर वर्तमान मामले को ऊपर उद्धृत किए गए निर्णयों से अलग बनाती हैं।

18. विक्की उर्फ नीरज भसीन (उपरोक्त) के प्रकरण में, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभियोजन के लंबे समय तक लंबित रहने पर विचार करते हुए दंडादेश को कम कर दिया है।

19. यह सत्य है कि यथोचित प्रकरण में, अभियोजन के लंबे समय तक लंबित रहने के आधार पर न्यायालयों के लिए दंडादेश पर विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति को शेष कारावास की सजा काटने के लिए पुनः कारावास भेजने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। किन्तु उपरोक्त विशिष्ट परिस्थितियों के आलोक में, यह ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें आवेदकों पर अधिरोपित दंडादेश पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि आवेदकों ने रविकान्त (अभि.साक्षी-5) पर उसकी ओर से बिना किसी दोष के क्रूरतापूर्वक और निर्दयता से हमला किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. परिणामतः, यह पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है। आवेदक जमानत पर हैं। वे शेष कारावास की सजा काटने के लिए संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तत्काल आत्मसमर्पण करें।

हस्ताक्षर /-

टी.पी.शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By- अजय कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur